बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (बी० आर० एल० पी० एस०) के लिए पर्यावरण मूल्यांकन एवं प्रबंधन ढ़ाँचा

कार्यकारी सारांश

प्रस्तावना :

बिहार सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से ''बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन विकास परियोजना'' (बी0 आर0 एल0 पी0 एस0) आरंभ की है, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति इस परियोजना को कार्यान्वित कर रही है। समिति का लक्ष्य है इस परियोजना के जरिये ग्रामीण जीविकोपार्जन की स्थिति में सुधार लाना और ग्रामीण गरीबों खास तौर से महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कार्य करना।

उद्देश्य

परियोजना के घोषित उद्देश्य है:

- ग्रामीण जीविकोपार्जन की स्थिति में सुधार लाना और ग्रामीण गरीबों का सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।
- ग्रामीण गरीबों तथा उत्पादकों के संगठन को विकसित करना ताकि वे सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की एजेंसियों और वित्तीय संस्थाओं से बेहतर सेवा, ऋण व परिसंपतियाँ हासिल करना।
- सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में सेवा प्रदान करनेवालों की क्षमता निर्माण में निवेश करना और
- लघु वित्त एवं कृषि व्यापार के प्रोत्साहन में उत्प्रेरक की भूमिका अदा करना।

परियोजना के घटक

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना के निम्नलिखित घटक है:

1. **सामुदायिक संस्थाओं का विकास:** स्वयं सहायता समूह, उत्पादक समूहों व संघों का निर्माण एवं मजबूतीकरण: मुख्य पण्यों, गैर कृषि उत्पादों व सेवाओं से जुड़े उत्पादकों तथा आर्थिक समूहों का निर्माण एवं मजबूतीकरण: और विद्यमान अन्य सहकारी एवं उत्पादक समूहों में गरीबों की सदस्यता का विस्तार।

2. **सामुदायिक निवेश कोषः** नागरिक समाज संगठनों के क्षमता निर्माण कोष समेत कृषि व्यापार विकास सुविधा, नवाचार, अनुदान कोष एवं लघु वित्त तकनीकी सहायता व नवाचार कोष का प्रावधान।

3. **बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना** के संस्थानिक ढ़ाँचे के अंतर्गत राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर कर्मचारियों की तैनाती रहती है। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना के सामुदायिक साझेदार संगठन के रूप में है-गाँव तथा प्रखंड स्तर पर संघबद्ध गरीबों के स्वयं सहायता समूह । पर्यावरण प्रबंधन ढ़ाँचे (ई0 एम0 एफ0) का उद्देश्य 'बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना' में गरीबी कम करने हेतू ग्रामीण जीविकोपार्जन की बृद्धि पर जोर है। प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत चलायी जाने वाली गतिविधियों के चयन के लिए पर्यावरण मुल्यांकन किया गया है और उसके आधार पर एक 'पर्यावरण प्रबंधन ढाँचे' का विकास किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परियोजना गतिविधियाँ पर्यावरण की दृषि से स्थायित्व वाली हो । इसके अलावा यह नियामक जरूरतों (बिहार और भारत सरकार) के कानून व नियमों और साथ ही विश्व बैंक की सुरक्षा नितियों को पूरा करती हो । सामुदायिक साझेदार संगठनों (स्वयं सहायता समूहों और उनके संघों) को 'प्र्यावरण प्रबंधन ढ़ाँचे से अवगत कराया जाता है ताकि वे अपने जीविकोपार्जन को प्र्यावरण की दृषि से स्थायित्वपूर्ण बनाने के लिए विद्यमान (सरकारी स्कीमों) और नवसृजित समर्थन प्रणालियों (सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों तथा अर्धपेशेवरों) का इस्तेमाल कर सकें।

<u>'पर्यावरण प्रबंधन ढ़ाँचे' के विकास की प्रक्रिया</u>

पर्यावरण शिक्षा केन्द्र ने 'बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना' दल और विश्वबैंक के प्रतिनिधियों की मंत्रणा से पर्यावरण प्रबंधन ढाँचे का विकास किया है। बिहार ग्रामीण 'जीविकोपार्जन परियोजना' मे शामिल अनेक भागीदारों के साथ विचार विमर्श भागीदारों में शामिल है। स्वयं सहायता समूह एवं समुदाय के सदस्य, राज्य और जिला स्तर पर संबंधित विभागों (कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, सिंचाई आदि) के प्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठनों और अकादमिक संस्थाएँ, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर और मधुबनी में क्षेत्र भ्रमण किए गए। द्धितीयक अनुसंधान भी कराए गए। उपर्युक्त कार्य फरवरी और मार्च 2007 के दौरान सम्पन्न किए गए।
पर्यावरण मुद्दों को संबोधित करने और इन्हें परियोजना सम्र्पित गतिविधियों की योजन, रूपरेखा और कार्यान्वयन में सम्मिलित करने की खातिर 'पर्यावरण प्रबंधन ढाँचे का निर्माण किया गया है, पर्यावरण मार्गनिर्देश (टी0 ई0 जी0), परियोजना अनुश्रवण व मूल्यांकन योजना के लिए पर्यावरण प्रबंधन सूचक और पर्यावरण जागरूकता व प्रबंधन हेतु क्षमता निर्माण परियोजना में 'पर्यावरण प्रबंधन ढाँचा' के प्र्याप्त व प्रभावकारी कार्यान्वयन हेतु एक सरल सांगठनिक ढ़ाँचा तथा प्रक्रिया अपनायी गयी है।

जीविकोपार्जन की पर्यावरणीय की रूपरेखा,

'पर्यावरण जागरूकता और पर्यावरण प्रबंधन ढाँचा उन विभिन्न जीविकोपार्जन क्षेत्र की पर्यावरणीय रूपरेखा पर आधारित है जिनपर बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना का मुख्य जोर है (कृषि, मत्स्यपालन और लघु उद्यम)। इसका उद्‌देश्य है पर्यावरण सरोकारों और प्र्यावरण पहलुओं को समाविस्ट करने के अवसरों की पहचान व कार्यान्वयन में प्र्यावरण पहलूओं को समाविष्ट करने के अवसरों की पहचान करना।

कानूनी तथा नियामक ढाँचा

पर्यावरण प्रबंधन ढाँचा 'बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना के लिए प्रासंगिक कानूनी तथा नियामक ढाँचे की जाँच परख करता है। इसके अंतर्गत भारत तथा बिहार सरकारों के विभिन्न उनधिनियमों, कानूनों व नीतियों और साथ ही विश्व बैंक की सुरक्षा नीतियों को सूचीबद्ध किया गया है, इन कानूनों व नीतियों के साथ प्रस्तावित बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना के हस्तक्षेप की संगति की भी जाँच परख की जाती हैं।

तकनीकी पर्यावरण दिशानिर्देश

'पर्यावरण प्रबंधन ढाँचे में तकनीकी प्र्यावरण मार्ग निर्देश सम्मिलित हैं, ये मार्ग निर्देश प्र्यावरणीय रूपरेखा और साथ ही कानूनी व नियामक जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए है। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना समिति के लिए किए गए जीविकोपार्जन अध्ययन तथा मूल्य श्रृखंला विश्लेषण में चिन्हित मुख्य जीविकोपार्जन हस्तक्षेप के लिए जिलावार तकनीकी प्र्यावरण दिशानिर्देश जारी किए गए है।

निम्नलिखित गतिविधियों के लिए तकनीकी प्र्यावरण दिशानिर्देश तैयार किए गए है:

गया	:	धान की खेती, डेयरी, अगरबत्ती निर्माण
नालंदा	:	धान की खेती, सब्जी उत्पादन, डेयरी
पूर्णिया	:	केला, जूट और शीतकालीन धान की खेती, सुगंधित पौधों (पुदीना और नींबू घास) की खेती एवं प्रसंस्करण
मधुबनी	:	डेयरी, मत्स्यपालन, सब्जी की खेती, फल उत्पादन (लीची व आम), मक्का की खेती एवं मधुमक्खी पालन ।
खगड़िया	:	डेयरी

अन्य जीविकोपार्जन गतिविधियां : पर्यटन, कपड़ा बुनाई, मधुबनी पेंटिंग, फल प्रसंस्करण, पान की खेती, चर्म शोधन, पत्थर कटाई, दस्तकारी हस्तशिल्प, चूड़ी निर्माण, सुगंधित पौधों व गन्ना की खेती ।

गतिविधि आधारित तकनीकी पर्यावरण मार्गनिर्देश के अलावा, पर्यावरण प्रबंधन का एक व्यापक ढांचा प्रस्तुत किया गया है जिसका अनेक गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है ।

सभी तकनीकी पर्यावरण मार्गनिर्देशों एवं पर्यावरण प्रबंधन के व्यापक ढांचे में ये मार्गनिर्देश शामिल हैं कि बाढ़ की स्थिति में समर्थित परिसंपत्तियों का किस तरह रख–रखव किया जाए जिससे उनका कम–से–कम नुकसान हो और उन्हें सुरक्षित रखा जा सके ।

पर्यावरण प्रबंधन कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण नियमावली

' पर्यावरण प्रबंधन ढांचे ' में पर्यावरण प्रबंधन कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण नियमावली प्रस्तुत की गई है । इस नियमावाली में ' पर्यावरण प्रबंधन ढांचे ' के कार्यान्वयन के मुतल्लिक निम्नांकित पहलुओं का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है ।

- सांस्थानिक व्यवस्था
- क्षमता निर्माण रणनीति
- अनुश्रवण रणनीति

' पर्यावरण प्रबंधन ढांचे ' के कार्यान्वयन की पूरी जिम्मेवारी ' बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना समिति ' की होगी । यह सामुदायिक साझीदार संगठनों के साथ घनिष्ठ संपर्क कायम करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि ' पर्यावरण प्रबंधन ढांचा ' के सभी प्रावधानों पर पर्याप्त रूप से अमल हो । साथ ही इसकी जिम्मेवारी होगी कि 'पर्यावरण प्रबंधन ढांचे ' के कार्यान्वयन के लिए यह बिहार के सभी सम्बद्ध सरकारी महकमों, गैर सरकारी संगठनों और अकादमिक संस्थाओं से अतिरिक्त तकनीकी सहायता का प्रयास करें ।

पर्यावरण प्रबंधन प्रक्रिया इस उद्‌देश्य से बनाई गई है कि यह सरल हो और इस प्रक्रिया का अनुपालन करनेवालों का हित साधन हो । ' तकनीकी पर्यावरण मार्गनिर्देश ' में उन सभी गतिविधियों में अंतर्निहित पर्यावरणीय पहलुओं को समाविष्ट किया गया है जिन्हें परियोजना द्वारा समर्थित किए जाने की संभावना है । इस मार्गनिर्देश में परियोजना कर्मियों और साथ ही गतिविधि के लिए प्रस्ताव कर रहे स्वयं सहायता समूह/उत्पादक समूह/संघों के सदस्यों के लिए आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध हैं ।

- प्रत्येक गतिविधि के लिए, ' बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना ' कर्मियों और सामुदायिक संगठन के सदस्यों को ' तकनीकी पर्यावरण मार्गनिर्देश ' संबंधी एक संदर्भ दस्तावेज मुहैया कराना है । इस दस्तावेज में संबंधित मुद्‌दों का एक खाका और कार्यवाही के लिए उपयुक्त तकनीकी एवं प्रबंधकीय मार्गनिर्देश रहेंगे ।
- सामुदायिक समन्वयक/सामुदायिक संसाधन व्यक्ति/लेखाकार/स्वयं सहायता समूह नेता/स्वयं सहायता समूह संघ सदस्यों के इस्तेमाल के लिए एकल पृष्ठवाला बिल्कुल सरल ' तकनीकी पर्यावरण मार्गनिर्देश ' दस्तावेज तैयार किया गया है । स्वयं सहायता समूह/उत्पादक समूह इस पर चर्चा कर ऋण यहायता के लिए आवेदन करेंगे । आवेदन प्रपत्र पर विचार–विमर्श के उपरांत स्वयं सहायता समूह/उत्पाद समूह के सदस्य इसे भरेंगे और आगे की कार्रवाई हेतु गतिविधि प्रस्ताव/आवेदन प्रपत्र के साथ इसे संलग्न कर देंगे ।
- प्रस्तावित गतिविधि के पर्यावरणीय पहलुओं को प्रस्ताव के समग्र मूल्यांकन में शामिल किया जाएगा । यदि प्रस्ताव में पर्यावरणीय पहलुओं की पर्याप्त रूप से पहचान नहीं की गई है या यथेष्ट चर्चा नहीं है (उदाहरण के लिए, ऐसी गतिविधियों के मामले में जिनपर कोई ' तकनीकी पर्यावरण मार्गनिर्देश ' उपलब्ध नहीं है) तो ' पर्यावरण प्रबंधन ढांचा ' के अंतर्गत राज्यस्तरीय पर्यावरण संसाधन एजेंसी के माध्यम से त्वरित पर्यावरण मूल्यांकन

किया जाता है और प्रस्तावित गतिविधि के लिए उपयुक्त ' तकनकी पर्यावरण मार्गनिर्देश ' का निर्माण किया जाता है ।

सामुदायिक संगठन के स्तर पर, स्वयं सहायता समूह और वन्य आधारित समूह या उत्पादक समूह जीविकोपार्जन गतिविधियों में ' पर्यावरण प्रबंधन ढांचे ' का एकीकरण सुनिश्चित करनेवाले मुख्य संगठन हैं । ग्राम संगठन यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी सदस्य ' तकनकी पर्यावरण मार्गनिर्देशों ' को संबंधित जीविकोपार्जन गतिविधियों में लागू करने का भरसक प्रयास करें । ग्राम/समूह स्तरीय संघ (ग्राम संगठन) सम्बद्ध विभागों से संपर्क कायम करनेवाले मुख्य संगठन हैं । सामुदायिक संसाधन व्यक्ति प्रखंड में सामुदायिक साझीदार संगठनों के क्षमता निर्माण करनेवाले मुख्य कार्यकर्त्ता हैं ।

हालांकि प्रस्तावित परियोजना निवेश के स्वरूप और छोटे आकार को देखते हुए एक सरल प्रभावकारी किस्म के ' पर्यावरण प्रबंधन ढांचे ' का ही विकास संभव हो पाया है, फिर भी पर्यावरण प्रबंधन के लिए जागरूकता व क्षमता निर्माण को ' पर्यावरण प्रबंधन ढांचा ' के एक अभिन्न अंग के बतौर शमिल किया गया है । अतः परियोजना के आरंभ से ही पर्यावरण प्रबंधन क्षमता मजबूत होगी ।

क्षमता निर्माण रणनीति

' बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना ' के विभिन्न भगीदारों और सामुदायिक साझीदार संगठनों की क्षमता निर्माण का लक्ष्य है ऊपर उल्लिखित कार्यभारों को सतत् आधार पर कारगर ढंग से पूरा करने में उन्हें सक्षम बनाना ।

क्षमता निर्माण रणनीति को कारगर बनाने के लिए ' पर्यावरण प्रबंधन ढांचा ' के अंतर्गत निम्नलिखित बातों को समाविष्ट करना चाहिए :

- सामुदायिक स्तर पर जीविकोपार्जन गतिविधियों के पर्यावरण प्रबंधन के लिए कौशल वृद्धि पर अधिक जोर देना ताकि यह विशेषज्ञता स्वयं सहायता समूहों के लिए उपयोगी और उनकी पहुंच के दायरे में हो ।
- विद्यमान संस्थाओं जैसे कृषि, मत्स्य व पशुपालन विभागों तथा कृषि विज्ञान केंद्रों(साथ ही गैर सरकारी संगठनों) के बीच समन्वय क्षमता निर्माण प्रयासों को स्थायित्व प्रदान करेंगे ।

राज्य से लेकर प्रखंड तक विभिन्न स्तरों पर 'बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना ' कर्मियों के लिए ' पर्यावरण प्रबंधन ढांचा ' पर प्रारंभिक उन्मुखीकरण एवं नए कार्यक्रमों की योजना है । सामुदायिक साझीदार संगठनों के लिए क्षमता निर्माण का मुख्य जोर होगा उन्हें अपने–अपने जीविकोपार्जन व्यवहारों में ' तकनीकी पर्यावरण मार्गनिर्देशों ' को लागू करने में समर्थ बनाना, इसमें शामिल है : जीविकोपार्जन गतिविधियों के पर्यावरणीय निहितार्थ को समझना; सम्बद्ध विभागों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य संबंधित संस्थाओं से उपलब्ध विद्यमान तकनकी व वित्तीय समर्थन के बारे में तथा नियामक आवश्यकताओं के प्रति जागृति । चुनिंदा सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को अर्ध–पेशेवरों के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे स्वयं सहायता समूहों को विशिष्ट कौशल आधारित सेवाएं मुहैया कर सकें । ये सेवाएं हैं : चलंत मिट्टी जांच कीट से मिट्टी की जांच, समेकित पोषक तत्वों का प्रबंधन, समेकित कीट प्रबंधन व कीटनाशक सुरक्षा, चारा की खेती (प्रजाति व किस्म का चयन, कृषिगत आर्थिक व्यवहार), शेड तथा कंपोस्ट प्रबंधन, बाढ़ के रुख का अनुश्रवण, संभावित बाढ़ का प्रबंधन आदि ।

अनुश्रवण रणनीति

' पर्यावरण प्रबंधन ढांचे ' का अनुश्रवण दो स्तरों पर किया जाता है : 1. ' बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना ' द्वारा अपनी आंतरिक अनुश्रवण प्रणाली द्वारा अनुश्रवण ।

2. वाह्य सहायता लेकर ' बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना ' द्वारा अनुश्रवण । मुख्य पर्यावरण परिमापकों और अनुश्रवण की आवृत्ति के बारे में ' पर्यावरण प्रबंधन ढांचे ' में निर्दिष्ट किया गया है । हालांकि ऐसी कोई आशंका नहीं कि ' बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना ' से पर्यावरण पर कोई उल्लेखनीय नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, फिर भी परियोजना के दूसरे, तीसरे और पांचवे वर्ष में वाह्य एजेंसी द्वारा ' पर्यावरण प्रबंधन ढांचे ' का अंकेक्षण कराया जाएगा । अंकेक्षण में विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह की जीविकोपार्जन गतिविधियों और साथ ही अन्य समूहों या उत्पादक समूहों द्वारा चलाई गई गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी । इस उद्देश्य से, नमूने के तौर पर सभी जिलों और जीविकोपार्जन क्षेत्रों में जारी गतिविधियों के 4 फीसदी हिस्से को कवर किया जाएगा ।

' पर्यावरण प्रबंधन ढांचा ' को एक गतिशील दस्तावेज माना जाता है । यह ' बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना ' की पर्यावरण संबंधी जरूरतों को बुद्धिमतापूर्वक पूरा करने के दरम्यान और भी विकसित होगा । ' पर्यावरण प्रबंधन ढांचा ' के कारगर कार्यान्वयन से जीविकोपार्जन को स्थायित्व प्रदान करने में मदद मिलेगी ।